न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं मजिस्ट्रेट मांगरोल जिला बारां

पीठासीन अधिकारीः– श्री शत्रुघ्न सिंह गुर्जर (आरएएस)

निर्णय

प्रकरण सख्या : 6/2020

बउनवानः–

लक्ष्मण दास पुत्र श्री माधवाचार्य जाति बैरागी निवासी सीसवाली तहसील मांगरोल जिला बारां

...प्रार्थी

♠ बनाम ♠

राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार मांगरोल जिला बारां (राज0)

....अप्रार्थी

वाद अन्तर्गत धारा 88, 89 आर.टी.एक्ट.

वकील प्रार्थी : श्री बुद्धि प्रकाश मालव

दायरा दिनांकः 28.01.2020 निर्णय दिनांक : 10.09.2020

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी के खाते की भूमि ग्राम सीसवाली तहसील मांगरोल में खाता संख्या 1346 खसरा नं0 2369 रकबा 0.12 है0, खसरा नं0 2370 रकबा 0.80 है0, खसरा नं0 2371 रकबा 0.09 है0, खसरा नं0 2373 रकबा 0.65 है0 कुल किता 4 कुल रकबा 1.66 है0 स्थित है। वादी की जाति बैरागी है किन्तु उक्त खाता आराजी में वादी की जाति सहवन से बेरागी के स्थान पर ब्राह्मण दर्ज हो गई है जिसको वादी दुरूस्त करवाने का अधिकारी है। यह कि ग्राम सीसवाली में ही वादी की अन्य खाता आराजी खाता संख्या 1316 किता 8 कुल रकबा 1.31 है0 व खाता संख्या 1314 खसरा नं0 1400 रकबा 1.72 है0 दर्ज रेकार्ड है जिसमें वादी की जाति बैरागी अंकित हो रही है। अतः ग्राम सीसवाली की आराजी खाता संख्या 1346 किता 4 कुल रकबा 1.66 है0 की राजस्व जमाबंदी में वादी की जाति ब्राह्मण के स्थान पर बैरागी दुरूस्त किये जाने का प्रार्थी अधिकारी व नालिसी है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Shatrughan Singh Gurjar
Date: 2021.01.15 17:44:44 IST
Reason: SelfAttested

उक्त आशय का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर प्रकरण दिनांक 28.01.2020 को दर्ज रजिस्टर किया गया अप्रार्थी तहसीलदार मांगरोल (लैण्ड होल्डर) जो राज्य सरकार का पैरोकार भी है को रिपोर्ट हेतु तलब किया गया। अप्रार्थी तहसीलदार मांगरोल (लैण्ड होल्डर) ने दिनांक 28.05.2020 से जवाब प्रस्तुत किया जिसके अनुसार वादी लक्ष्मणदास पुत्र माधवाचार्य जाति बैरागी खाता से 1346 में ब्राह्मण के स्थान पर जाति बैरागी करवाना चाहता है वादी की जाति बैरागी होने की पुष्टि जमाबंदी ग्राम सीसवाली 2073 से 76 खाता 1316 व 314 रिपोर्ट पटवारी 19.02.2020 से पुष्टि होती है जाति बैरागी किया जाना उचित है।

पत्रावली में संलग्न दस्तावेजो का आद्योपान्त अध्ययन, अवलोकन व मनन किया गया। वकील प्रार्थी की दिनांक 10.09.2020 को एक पक्षीय बहस सुनी गयी। अधिवक्ता प्रार्थी ने अपनी बहस में उन्ही तथ्यों का कथन किया जिनका उनके द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में अंकन किया गया है। पत्रावली में संलग्न जाति प्रमाण पत्र के आधार पर भी प्रार्थी लक्ष्मणदास पुत्र माधवाचार्य की जाति बैरागी का सत्यापन होता है। अतः तहसीलदार मांगरोल की रिपोर्ट एवं संलग्न दस्तावेजात व दिनांक 10.09.2020 को अधिवक्ता प्रार्थी की सुनी गयी बहस के आधार पर ग्राम सीसवाली की आराजी खाता संख्या 1346 खसरा नं0 2369 रकबा 0.12 है0, खसरा नं0 2370 रकबा 0.80 है0, खसरा नं0 2371 रकबा 0.09 है0, खसरा नं0 2373 रकबा 0.65 है0 त किता 4 कुल रकबा 1.66 है0 की राजस्व जमाबंदी में प्रार्थी की जाति ब्राह्मण के स्थान किये जाने के आदेश दिये जाते है। तदनुसार तहसीलदार मांगरोल को राजस्व रेकार्ड में द के आदेश दिये जाते है। पत्रावली फैशल शुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद दाखि

निर्णय आज दिनांक 10.09.2020 को सरेईजलास मजमेंआम में सुनाया ग

(शत्र ... राज0)
उपर ... धकारी
मागरोल

Signature Not Verified

Digitally signed by Shatrughan Singh Gurjar
Date: 2021.01.15 17:44:44 IST
Reason: SelfAttested